



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272799
CG-DL-E-22052026-272799

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2521]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 2521]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISTHA 1, 1948

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2026

का.आ. 2613(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार होने के नाते, संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप धारा (1ख) के खंड (ii) के अनुसार किसी भी गैरकानूनी सूचना के संबंध में मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के प्रयोजनार्थ एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एम-11017/3/2026-डीओ(एफए)]

सुरजीत इंदु, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2026

S.O. 2613(E).— In pursuance of clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), read with clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021, the Central Government being the appropriate Government hereby notifies Joint Secretary (Films), Ministry of Information and Broadcasting, for the purpose of issuing notice to the intermediaries in relation to any unlawful information as per clause (ii) of sub section (1B) of section 7 of the Cinematograph Act, 1952.

[F. No. M-11017/3/2026-DO(FA)]

SURAJIT INDU, Under Secy.